निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 37/2021
दायरा दिनांकः–12.10.2021
निर्णय दिनांकः– 27.8.24

उनवान

1. गजरी बाई आयु 74 वर्ष पुत्री हल्का जाति चमार निवासी ग्राम चौकी तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल निवासी धरनावादा जिला गुना (म0प्र0)
2. हरिप्रसाद आयु 68 वर्ष पुत्र हल्का जाति चमार निवासी ग्राम चौकी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 27.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया क्रम 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम ढीमरपुरा तहसील छबड़ा में खाता संख्या 118/116 खसरा नम्बर 4 की रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 की रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 6 की रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 की रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, और खसरा नम्बर 21 की रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 की रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 52 की रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 156/398 की रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, तादादी कुल 8 किता रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा. ग्राम ढीमरपुरा में स्थित है. इसमें प्रार्थीया कम 1 का शामलाती में हिस्सा 4/54 है। भूमि खाता संख्या 106/107 खसरा नम्बर 17/450 की रकबा 3 बीघा भूमि ग्राम ढीमरपुरा तहसील छबड़ा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी क्रम 2 का शामलाती में हिस्सा 7/18 स्थित है. एवं प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 4/18 निहित है। यह कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व कर्मचारियों ने भूमि खाता संख्या 118/116 ग्राम ढीमरपुरा में खातेदार गजरी बाई के स्थान पर डगरो कर दिया है जबकि खातेदार का वास्तविक नाम गजरी बाई जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। भूमि खाता संख्या 106/107 ग्राम ढीमरपुरा तहसील छबडा की भूमि में प्रार्थी क्रम 2 हरिप्रसाद खातेदार के स्थान पर हरिचन्द एवं गजरीबाई के स्थान पर डगरो कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित आवश्यक है। प्रार्थीगण का वोटर आईडी आधार कार्ड राशन कार्ड में अलग होने से प्रार्थीगण के. सी.सी एवं अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है जबकि समस्त दस्तावेजों में हरिप्रसाद व गजरीबाई नाम अंकित है। प्रार्थीगण ने इससे पूर्व दुरूस्तीकरण का प्रार्थना पत्र दिया था तो प्रार्थीगण से कहां कि एसडीओं कोर्ट से आदेश लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आओं तब जाकर नाम दुरूस्तीकरण होगा। भूमि प्रार्थीया क्रम 1 के खातेदारी एवं कब्जे का की भूमि ग्राम ढीमरपुरा तहसील छबड़ा में खाता संख्या 118/116 खसरा नम्बर 4 की रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 5 की रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 की रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 7 की रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा और खरारा नम्बर 21 की रवाना 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 51 की रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 52 की रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 156/398 की रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, तादादी कुल 8 किता रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा ग्राम ढीमरपुरा में खातेदार डगरो के स्थान पर गजरीबाई पुत्री हल्का जाति चमार निवासी ग्राम चौकी तहसील छबड़ा करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम ढीमरपुरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 118 नकल जमाबन्दी ग्राम ढीमरपुरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 106 फोटो प्रति आधार कार्ड गजरी बाई फोटो प्रति पहचान पत्र गजरी बाई आधार कार्ड हरि प्रसाद फोटो पहचान पत्र हरिप्रसाद बैंक पास बुक की फोटो प्रति हरिप्रसाद फोटो प्रति राशन कार्ड भामाशाह कार्ड की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम ढीमरपुरा में स्थित है जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण का नाम खाता संख्या 118 ग्राम ढीमरपुरा के खातेदार गजरी बाई के स्थान पर डगरो कर दिया है जबकि वास्तविक नाम गजरी बाई है इसी प्रकार खाता संख्या 106 ग्राम ढीमरपुरा में प्रार्थी क्रम 2 हरिप्रसाद खातेदार के स्थान पर हरिप्रसाद एवं गजरी बाई के स्थान पर डगरो दर्ज कर दिया है प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों में गजरी बाई व हरिप्रसाद अंकित है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गजरी बाई के स्थान पर डगरों व हरिप्रसाद के स्थान पर हरिचन्द दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त करवाना आवश्यक है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ढीमरपुरा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 106 व 118 में प्रार्थीया क्रम 1 का नाम डगरों तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम खाता संख्या 106 में हरिचन्द एवं खाता संख्या 118 में हरिप्रसाद दर्ज है प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीया का नाम गजरी बाई व प्रार्थी क्रम 2 का नाम हरिप्रसाद दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण का सही नाम गजरी बाई व हरिप्रसाद है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में डगरों व हरिचन्द दर्ज हो [illegible] जिसे दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से [illegible] ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि खाता संख्या 106 में खातेदा डगरों पुत्री हल्का व हरिचन्द पुत्र हल्का सहवन से दर्ज हुआ है [illegible] ढीमरपुरा में विरासत का नामान्तरण 105 पर मृतक खातेदार हल्का पुत्र हरचन्दा कोम चमार के स्थान पर बद्रीलाल, हरिप्रसाद पुत्र हल्का डगरी बेवा हल्का गजरी लदुरी मुल्लों मांगी पुत्रिया हल्का बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जाति चमार सा0देह दर्ज है रिपोर्ट पटवारी के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 146,118,106 में खातेदार डगरों पुत्री हल्का के स्थान पर गजरी बाई पुत्री हल्का व खाता संख्या 106 में खातेदार हरिचन्द पुत्र हल्का के स्थान पर हरिप्रसाद पुत्र हल्का विरासत नामान्तरण संख्या 105 के आधार पर सही किया जाना उचित होगा। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम ढीमरपुरा तहसील छबडा के खाता संख्या 106,118 में दर्ज प्रार्थीया क्रम 1 का नाम डगरों के स्थान पर गजरी बाई पुत्री हल्का एवं खाता संख्या 106 में दर्ज प्रार्थी क्रम 2 का नाम हरिचन्द के स्थान पर हरिप्रसाद पुत्र हल्का दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:56 IST
Reason: SelfAttested